राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डैक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2025/19

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
212 प्रार्थना पत्र	03/25 03/25	24/1/25		18/2/25

Not Prsk 21/2/25

अनवान

श्री आशीष मेहता पिता पारसमल श्री अरुणा पुत्री रमेश

निवासी सी 220 काशीपुरी, भीलवाड़ा। निवासी बारुंदनी का तलाब, बिजौलि[illegible]

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार मदयून

श्री B. P. J. श्री

राजस्थान सरकार

(कायदा - 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
212 प्रतिलिपि पत्र	03/25	24/1/25		18/2/25

अनवान

श्री आशीष मेहता

निवासी सी 220 काशीपुरी भीलवाड़ा

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट

श्री अरुणा पुत्री रेखा

निवासी देवनारायण मन्दिर के पास आजाद नगर, भीलवाड़ा

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार

श्री B.P.T.

मदयून

श्री

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

आशीष .... बनाम किरण [illegible] बिजौलिया

किस्म मुकदमा धारा ... 212 RTA ... प्रकरण संख्या ... 03/25

GCMS नम्बर ... 2025/19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/2/25	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में प्रार्थी एवं प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी ने हस्ताक्षर किए और बताया कि वे प्रार्थना-पत्र को आगे नहीं चलाना चाहते है। मूल पत्रावली को Not Press में खारिज किए जाने से इस प्रार्थना-पत्र को स्वतः समाप्त समझा जावे। इस प्रार्थना-पत्र में पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को स्वतः समाप्त समझा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	Not Press आशीष [illegible] आ.रा.।। [illegible]

FORM NO. III

फर्द अहकाम

नियम 26

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलिया, जिला–भीलवाड़ा

आशीष मेहता पिता पारसमल वगै. बनाम अरूणा पुत्री रमेश महाजन वगै.

किस्म मुकदमा धाराः–212 राज.का.अधि. प्रकरण संख्या 03/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.01.2025	प्रार्थना पत्र बाद जांच सीगे से प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण ब्रहम प्रकाश तिवाड़ी, की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस में बताया कि ग्राम बाणियों का तालाब पटवार हल्का कांस्या तहसील बिजौलिया की सरहद में स्थित खाता संख्या 36 में अंकित खसरा नम्बर 103, रकबा 0.9955 हैक्टैयर व खसरा नम्बर 108 रकबा 0.4371 हैक्टेयर कुल खसरे 02 क्षेत्रफल 1.4371 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 70 में अंकित खसरा नम्बर 105 क्षेत्रफल 0.9874 हैक्टेयर खसरा नम्बर 251/105 रकबा 0.5747 हैक्टेयर कुल खसरे 02 क्षेत्रफल 1.5621 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण का नाम नामान्तरण में दर्ज नहीं हुआ जबकि उक्त भूमि में प्रार्थीगण का भी उतना ही हक बनता है जितना विपक्षीगण का, विपक्षीगण उक्त भूमि से प्रार्थी को बेदखल करने व भूमि रहन विक्रय करने पर एवं खुर्द बुर्द करने आमादा है। इस कारण विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश फरमावें। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि मामला प्रथम दृष्ट्या प्रार्थी के पक्ष का बनता है एवं अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः ग्राम ग्राम बाणियों का तालाब पटवार हल्का कांस्या तहसील बिजौलिया की सरहद में स्थित खाता संख्या 36 में अंकित खसरा नम्बर 103, रकबा 0.9955 हैक्टैयर व खसरा नम्बर 108 रकबा 0.4371 हैक्टेयर कुल खसरे 02 क्षेत्रफल 1.4371 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 70 में अंकित खसरा नम्बर 105 क्षेत्रफल 0.9874 हैक्टेयर खसरा नम्बर 251/105 रकबा 0.5747 हैक्टेयर कुल खसरे 02 क्षेत्रफल 1.5621 हैक्टेयर भूमि के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में दखल अंदाजी नहीं करें प्रार्थी को बेदखल नहीं करें विपक्षीगण अपने नाम पर दर्ज रिकॉर्ड होने से वादग्रस्थ भूमि का विकय हस्तान्तरण नहीं करें एवं वादग्रस्त भूमि के रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखे इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतरिम आदेश विपक्षीगण के विरूद्ध अग्रिम आदेश तक जारी किया जाता है। पत्रावल वास्ते तलबी/जवाब हेतु नियत दिनांक 18/02/2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	